



सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 113]

नई दिल्ली, शक्रवार, अप्रैल 1, 1977 चैत्र 11, 1899

No. 113]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 1, 1977 CHAITRA 11, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में देखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Revenue Wing)

NOTIFICATION

INCOME-TAX

New Delhi, the 1st April 1977

G.S.R. 167(E).—Whereas the Government of India and the Government of Malaysia have concluded an Agreement, as set out in the Annexure hereto, for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income;

And whereas all the requirements have been completed in Malaysia and India as are necessary to give the said Agreement the force of law in Malaysia and India respectively, as required by paragraph 1 of Article 27 of the said Agreement;

And whereas the diplomatic notes to this effect have been exchanged between the said two Governments, as required by paragraph 2 of Article 27 of the said Agreement;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 60 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and section 24A of the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Agreement shall be given effect to in the Union of India.

ANNEXURE

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF INDIA AND THE
GOVERNMENT OF MALAYSIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE
TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH
RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of India and the Government of Malaysia,

Desiring to conclude an Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income,

Have agreed as follows:

CHAPTER I

SCOPE OF THE AGREEMENT

ARTICLE 1

PERSONAL SCOPE

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

ARTICLE 2

TAXES COVERED

1. The taxes which are the subject of this Agreement are:

(a) in Malaysia:

- (i) the income tax;
 - (ii) the supplementary income tax, that is, tin profits tax, development tax and timber profits tax; and
 - (iii) the petroleum income tax;
- (hereinafter referred to as "Malaysian tax");

(b) in India:

- (i) the income-tax and any surcharge on income-tax imposed under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961);
 - (ii) the surtax imposed under the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964),
- (hereinafter referred to as "Indian tax").

2. This Agreement shall also apply to any other taxes of a substantially similar character to those referred to in the preceding paragraph imposed in either Contracting State after the date of signature of this Agreement.

3. At the end of each year, the competent authorities of the Contracting States shall notify to each other any significant changes which have been made in their respective taxation laws.

CHAPTER II

DEFINITIONS

ARTICLE 3

GENERAL DEFINITIONS

1. In this Agreement, unless the context otherwise requires:—

- (a) the term "Malaysia" means the Federation of Malaysia and includes any area adjacent to the territorial waters of Malaysia which, in accordance with international law, has been or may hereafter be designated under the laws of Malaysia concerning the Continental Shelf as an area within which the rights of Malaysia with respect to the sea bed and sub-soil and their natural resources may be exercised;

- (b) the term "India" means the territory of India and includes any area adjacent to the territorial waters of India which, in accordance with international law, has been or may hereafter be designated under the laws of India as an area within which the rights of India with respect to the sea bed and sub-soil and their natural resources may be exercised;
- (c) the terms "one of the Contracting States" and "the other Contracting State" mean Malaysia or India, as the context requires;
- (d) the term "tax" means Malaysian tax or Indian tax, as the context requires;
- (e) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes under the taxation laws of the respective Contracting States;
- (f) the term "person" shall have the meaning assigned to it in the taxation laws in force in the respective Contracting States;
- (g) the terms "Malaysian enterprise" and "Indian enterprise" mean respectively an enterprise carried on by a resident of Malaysia and an enterprise carried on by a resident of India;
- (h) the terms "enterprise of one of the Contracting States" and "enterprise of the other Contracting State" mean a Malaysian enterprise or an Indian enterprise, as the context requires;
- (i) the term "competent authority" means, in the case of Malaysia, the Minister of Finance or his authorised representative; and in the case of India, the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance).

2. In the application of this Agreement by one of the Contracting States any term not otherwise defined shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that Contracting State relating to the taxes which are the subject of this Agreement.

ARTICLE 4

FISCAL DOMICILE

1. In this Agreement, unless the context otherwise requires:—

- (a) the term "resident of Malaysia" means
 - (i) an individual who is ordinarily resident in Malaysia; or
 - (ii) a person other than individual who is resident in Malaysia; on basis year for a year of assessment for the purpose of Malaysian tax;
- (b) the term "resident of India" means a person who is treated as a resident of India in the previous year for the relevant assessment year for the purpose of Indian tax;
- (c) the terms "resident of one of the Contracting States" and "resident of the other Contracting State" mean a resident of Malaysia or a resident of India, as the context requires.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 of this Article an individual is a resident of both Contracting States, then his residential status shall be determined in accordance with the following rules:

- (a) he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations are closer;
- (b) if the Contracting State with which his personal and economic relations are closer cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode;

- (c) if he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a citizen;
 - (d) if he is a citizen of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall determine the question by mutual agreement.
3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 of this Article a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which its place of effective management is situated.

ARTICLE 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.
2. The term "permanent establishment" shall include especially:
- (a) a place of management;
 - (b) a branch;
 - (c) an office;
 - (d) a factory;
 - (e) a workshop;
 - (f) a warehouse;
 - (g) a mine, oil well, quarry or other place of extraction of natural resources;
 - (h) a building site or construction, installation or assembly project which exists for more than six months;
 - (i) a farm or plantation;
 - (j) a place of extraction of timber or forest produce.
3. The term "permanent establishment" shall not be deemed to include:
- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
 - (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
 - (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
 - (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or collecting information, for the enterprise;
 - (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character, for the enterprise.
4. An enterprise of one of the Contracting States shall be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if:
- (a) it carries on supervisory activities in that other Contracting State for more than six months in connection with a construction, installation or assembly project which is being undertaken in that other Contracting State;
 - (b) it carries on a business which consists of providing the services of public entertainers (such as stage, motion picture, radio or television artistes and musicians) or athletes in that other Contracting State unless the enterprise is directly or indirectly supported, wholly or

substantially, from the public funds of the Government of the first-mentioned Contracting State in connection with the provision of such services.

5. Subject to the provisions of paragraph 6 of this Article, a person acting in one of the Contracting States on behalf of an enterprise of the other Contracting State shall be deemed to be a permanent establishment in the first-mentioned Contracting State if:

- (a) he has, and habitually exercises in that first-mentioned Contracting State, an authority to conclude contracts on behalf of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise; or
- (b) he maintains in the first-mentioned Contracting State a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise from which he regularly fills orders on behalf of the enterprise.

6. An enterprise of one of the Contracting States shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other Contracting State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business.

7. The fact that a company which is a resident of one of the Contracting States controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State or which carries on business in that other Contracting State (whether through a permanent establishment or otherwise) shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

CHAPTER III

TAXATION OF INCOME

ARTICLE 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income from immovable property may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

2. The term "immovable property" shall be defined in accordance with the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or rights to work, mineral deposits, oil wells, quarries and other places of extractive resources or of timber or forest produce. Ships, boats and aircraft are regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 of this Article shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 of this Article shall also apply to the income from immovable property of an enterprise.

ARTICLE 7

BUSINESS PROFITS

1. The income or profits of an enterprise of one of the Contracting States shall be taxable only in that Contracting State, unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, tax may be imposed in that other Contracting State on the income or profit of the enterprise but only on so much of that income or profits as is attributable to that permanent establishment.

2. Where an enterprise of one of the Contracting States carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the income or profits which it might be expected to make if it

were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In the determination of the income or profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4. In so far as it has been customary in a Contracting State to determine the income or profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total income or profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 or paragraph 3 of this Article shall preclude such Contracting State from determining the income or profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles laid down in this Article.

5. No income or profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the purpose of export to the enterprise of which it is the permanent establishment.

6. Where income or profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

ARTICLE 8

SHIPPING

1. Income of an enterprise of one of the Contracting States derived from the other Contracting State from the operation of ships in international traffic may be taxed in that other Contracting State, but the tax chargeable in that Contracting State on such income shall be reduced by an amount equal to fifty per cent of such tax.

2. For the purposes of paragraph 1 of this Article, income derived from the other Contracting State shall mean income from the carriage of passengers, mail, livestock or goods shipped in that other Contracting State:

Provided that there shall be excluded the income accruing from the carriage of passengers, mail, livestock or goods which are brought to that other Contracting State solely for transshipment or for transfer from an aircraft to a ship or from a ship to another ship.

3. Where income from the operation of ships in international traffic derived by an enterprise of one of the Contracting States from a State other than the Contracting States, such income shall be taxable only in the Contracting State of which the enterprise is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 of this Article shall likewise apply to income arising from participation in shipping pools of any kind by such enterprise engaged in shipping operations.

ARTICLE 9

AIR TRANSPORT

1. Income of an enterprise of one of the Contracting States derived from the other Contracting State from the operation of aircraft in international traffic shall not be taxed in the other Contracting State.

2. For the purposes of paragraph 1 of this Article, income derived from the other Contracting State shall mean income from the carriage of passengers, mail, livestock or goods from the other Contracting State.

3. Where income from the operation of aircraft in international traffic is derived by an enterprise of one of the Contracting States from a State other than the Contracting States, such income shall be taxable only in the Contracting State of which the enterprise is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 of this Article shall likewise apply to income arising from participation in aircraft pools of any kind by such enterprise engaged in air transport operations.

ARTICLE 10

ASSOCIATED ENTERPRISES

Where—

- (a) an enterprise of one of the Contracting States participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State; or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of one of the Contracting States and of an enterprise of the other Contracting State.

and in either case, conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations, which differ from those which would be made between independent enterprises, then, any income or profits which would but for those conditions have accrued to one of the enterprises, but by reason of those conditions have not so accrued, may be included in the income or profits of that enterprise and taxed accordingly.

ARTICLE 11

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in the first-mentioned Contracting State.

2. Where a dividend was paid by a company which was resident in both Malaysia and Singapore and the meeting at which the dividend was declared was held in Malaysia, or where a dividend was paid by a company which was resident in Singapore and at the time of payment of that dividend the company declared itself to be a resident of Malaysia for the purposes of Article VII of the Agreement between the Government of Malaysia and the Government of the Republic of Singapore for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income signed in Singapore on 26th December, 1968, the dividend shall be deemed to have been paid by a company resident in Malaysia.

3. Where a dividend was paid by a company which was resident in both Malaysia and Singapore and the meeting at which the dividend was declared was held in Singapore, or where a dividend was paid by a company which was resident in Malaysia and at the time of payment of that dividend, the company declared itself to be a resident of Singapore for the purposes of Article VII of the Agreement between the Government of Malaysia and the Government of the Republic of Singapore for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income signed in Singapore on 26th December, 1968, the dividend shall be deemed to have been paid by a company not resident in Malaysia.

Nothing in this Article shall affect the provisions of the law in Malaysia under which any tax in respect of a dividend paid by a company resident in Malaysia from which Malaysian tax has been, or has been deemed to be, deducted may be adjusted by reference to the rates of tax appropriate to the year of assessment immediately following that in which the dividend was paid.

5. Where a company which is a resident of one of the Contracting States derives income or profits from sources within the other Contracting State, there shall not be imposed in that other Contracting State any form of taxation on dividends paid by the company to persons not resident in that other Contracting State or any tax in the nature of an undistributed profits tax on the undistributed profits of the company, whether or not those dividends represent, in whole or in part, income or profits so derived.

ARTICLE 12

INTEREST

1. Interest derived by a resident of one of the Contracting States from the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. Interest shall be deemed to be derived from a Contracting State if the payer is the Government, a State Government, a political sub-division, a local authority or a resident of that Contracting State. Where, however, the payer has in the other

Contracting State a permanent establishment with which the loan or other indebtedness in respect of which the interest is paid, is effectively connected and such interest is borne by such permanent establishment, then such interest shall be deemed to be derived from the Contracting State in which the permanent establishment is situated. In such a case, the provisions of Article 7 shall apply.

3. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient, or between both of them and some other persons, the amount of the interest paid, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall be taxed according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

4. The term "interest" as used in this Article means income from Government securities, bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in profits, and debt-claims of every kind as well as all other income assimilated to income from money lent by the taxation law of the State in which the income arises.

ARTICLE 13

ROYALTIES

1. Royalties derived by a resident of one of the Contracting States from the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article, royalties of the kind mentioned in clauses (a) and (b) of paragraph 5 of this Article and derived from Malaysia by a resident of India shall be exempt from tax in Malaysia, if the agreement under which such royalties are payable is approved by the Government of Malaysia after this Agreement is signed.

3. Royalties shall be deemed to be derived from a Contracting State if the payer is the Government, a State Government, a political sub-division, a local authority or a resident of that Contracting State. Where, however, the payer has in the other Contracting State a permanent establishment with which the right or property giving rise to the royalties is effectively connected, then, such royalties shall be deemed to be derived from the Contracting State in which the permanent establishment is situated. In such a case, the provisions of Article 7 shall apply.

4. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient, or between both of them and some other person, the amount of the royalties having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall be taxed according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the provisions of this Agreement.

5. The term "royalties" as used in this Article means payment of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use—

- (a) any patent, trademark, design or model, plan, secret formula or process;
- (b) industrial, commercial, or scientific equipment, or information concerning industrial, commercial or scientific experience;
- (c) any copyright of literary, artistic or scientific work, cinematograph films, or tapes for television or broadcasting,

but does not include royalties or other amounts paid in respect of operation of mines or quarries or of the extraction or removal of natural resources.

ARTICLE 14

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 15, 17 and 18, salaries wages and other similar remuneration derived by a resident of one of the Contracting States in respect of an employment shall be taxable only in that Contracting State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other Contracting State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article, an individual who is a resident of Malaysia shall be exempt from tax in India on remuneration in respect of an employment exercised in any previous year in India, if—

- (a) he is present in India for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days during that previous year; and
- (b) any period for which he is present within India does not form part of a continuous period of more than 183 days throughout which he is present within India; and
- (c) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of India; and
- (d) the amount of remuneration is not deductible in computing the income or profits of an enterprise chargeable to Indian tax.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article, an individual who is a resident of India shall be exempt from tax in Malaysia on remuneration in respect of an employment exercised in any basis year for a year of assessment in Malaysia, if—

- (a) he is present in Malaysia for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days during that basis year; and
- (b) any period for which he is present within Malaysia does not form part of a continuous period of more than 183 days throughout which he is present within Malaysia; and
- (c) the remuneration is paid by or on behalf of an employer who is not a resident of Malaysia; and
- (d) the amount of remuneration is not deductible in computing the income or profits of an enterprise chargeable to Malaysia tax.

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft engaged in international traffic and operated by an enterprise of one of the Contracting States may be taxed in that Contracting State.

5. In relation to remuneration of a director of a company derived from the company, the provisions of this Article shall apply as if the remuneration were remuneration of an employee in respect of an employment.

ARTICLE 15

DIRECTORS' FEES

Notwithstanding the provisions of Article 14, directors' fees and similar pay derived by a resident of one of the Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

ARTICLE 16

ARTISTES AND ATHLETES

1. Notwithstanding the provisions of Article 14, income derived by public entertainers (such as stage, motion picture, radio or television artistes and musicians) or athletes, from their personal activities as such may be taxed in the Contracting State in which these activities are exercised:

Provided that such income shall not be taxed in the said Contracting State if the visit of the public entertainers or athletes to that State is directly or indirectly supported, wholly or substantially, from the public funds of the Government of the other Contracting State.

2. For the purposes of this Article, the term "Government" includes a State Government, a political sub-division, or a local or statutory authority of either Contracting State.

ARTICLE 17

NON-GOVERNMENT PENSIONS AND ANNUITIES

Any pension (other than a pension of the kind referred to in Article 18) or any annuity in respect of past services derived by an individual who is a resident of one of the Contracting States from the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State.

ARTICLE 18

GOVERNMENT REMUNERATION AND PENSION

1. Remuneration (not being a pension) paid by the Government of Malaysia to any individual who is a citizen of Malaysia in respect of services rendered in discharge of governmental functions in India shall be exempt from Indian tax.

2. Remuneration (not being a pension) paid by the Government of India to any individual who is a citizen of India in respect of services rendered in the discharge of governmental functions in Malaysia shall be exempt from Malaysian tax.

3. Any pension paid by the Government of one of the Contracting States to any individual may be taxed in that Contracting State.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply to payments in respect of services rendered in connection with any business carried on by the Government of either of the Contracting States for the purposes of profit.

5. For the purposes of this Article, the term "Government" shall include any State Government or local or statutory authority of either Contracting State and in particular the Bank Negara Malaysia and the Reserve Bank of India.

ARTICLE 19

STUDENTS AND APPRENTICES

1. An individual who is a resident of one of the Contracting States and who visits the other Contracting State solely as a student at a recognised university, college, school or other similar recognised educational institution in that other Contracting State or as a business or technical apprentice therein, for a period not exceeding five years from the date of his first arrival in that other Contracting State in connection with that visit, shall be exempt from tax in that other Contracting State on—

- (a) all remittances from abroad for the purposes of his maintenance, education or training; and
- (b) any remuneration (not exceeding 3,000 Malaysian dollars or 7,500 Indian Rupees during any basis year or previous year, as the case may be, for any year of assessment) for personal services rendered in that other Contracting State with a view to supplementing resources available to him for such purposes.

2. An individual who is a resident of one of the Contracting States and who visits the other Contracting State for the purposes of study, research or training solely as a recipient of a grant, allowance or award from the Government of either of the Contracting States or from a scientific, educational, religious or charitable organisation or under a technical assistance programme entered into by the Government of either of the Contracting States for a period not exceeding five years from the date of his first arrival in that other Contracting State in connection with that visit shall be exempt from tax in that other Contracting State on—

- (a) the amount of such grant, allowance or award;
- (b) all remittances from abroad for the purposes of his maintenance, education or training; and
- (c) any remuneration (not exceeding 3,000 Malaysian Dollars or 7,500 Indian Rupees for any basis year or previous year, as the case may be, for any year of assessment) in respect of services in that other Contracting State if the services are performed in connection with his study, research, training or are incidental thereto.

3. An individual who is a resident of one of the Contracting States and who visits the other Contracting State solely as an employee of, or under contract with, the Government or an enterprise of the first-mentioned Contracting State solely for the purpose of acquiring technical, professional or business experience for a period not exceeding twelve months from the date of his first arrival in that other Contracting State in connection with that visit shall be exempt in that other Contracting State on—

- (a) all remittances from abroad for the purposes of his maintenance, education or training; and
 - (b) any remuneration, so far as it is not in excess of 5,000 Malaysian Dollars or 12,500 Indian Rupees, as the case may be, for personal services rendered in that other Contracting State, provided such services are in connection with his studies or training or are incidental thereto.
4. For the purposes of this Article and Article 20—
- (i) the term "Government" shall have the same meaning as in paragraph 5 of Article 18;
 - (ii) an individual shall be deemed to be a resident of a Contracting State if he is resident in that Contracting State in the basis year or the previous year, as the case may be, in which he visits the other Contracting State or in the immediately preceding basis year or the previous year.

ARTICLE 20

PROFESSORS, TEACHERS AND RESEARCHERS

1. An individual who is a resident of one of the Contracting States and who, at the invitation of the Government of the other Contracting State or of a university or other recognised educational institution situated in that other Contracting State, visits that other Contracting State for the primary purpose of teaching or engaging in research, or both, at a university or other recognised educational institution shall be exempt from tax in that other Contracting State on his income from personal services for teaching or research or both at the university or the recognised educational institution, for a period not exceeding two years from the date of his arrival in that other Contracting State.

2. This Article shall not apply to income from research if such research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.

ARTICLE 21

INCOME OF GOVERNMENT AND INSTITUTIONS

The Government of one of the Contracting States shall be exempt from tax in the other Contracting State in respect of any income derived by such Government from that other Contracting State.

2. For the purposes of paragraph 1 of this Article, the term "Government"—

- (a) in the case of Malaysia means the Government of Malaysia and shall include—
 - (i) the Governments of the States;
 - (ii) the Bank Negara Malaysia;
 - (iii) any such institution or body as may be agreed from time to time between the two Contracting States;
- (b) in the case of India means the Government of India and shall include—
 - (i) the Government of the States and the Union territories of India;
 - (ii) the Reserve Bank of India;
 - (iii) any such institution or body as may be agreed from time to time between the two Contracting States.

CHAPTER IV

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

ARTICLE 22

1. The laws in force in either of the Contracting States will continue to govern the taxation of income in the respective Contracting States except where provisions to the contrary are made in this Agreement.

2. (a) The amount of Malaysian tax payable, under the laws of Malaysia, and in accordance with the provisions of this Agreement, whether directly or by deduction, by a resident of India, in respect of income from sources within Malaysia which has been subjected to tax both in India and Malaysia, shall be allowed as a credit against the Indian tax payable in respect of such income but in an amount not exceeding that proportion of Indian tax which such income bears to the entire income chargeable to Indian tax.

(b) For the purposes of the credit referred to in sub-paragraph (a) above, there shall be deemed to have been paid by the resident of India:—

- (i) the amount of tax which would have been paid in respect of royalties but for the exemption provided in paragraph 2 of Article 13; and
- (ii) the amount of tax which would have been paid if the Malaysian tax had not been reduced or relieved in accordance with the special incentive measures designed to promote economic development in Malaysia—
 - (aa) which are set forth in sections 21, 22 and 26 of the Investment Incentives Act, 1968 of Malaysia; or
 - (bb) which may be introduced in future in the Income Tax Act, 1967, Supplementary Income Tax Act, 1967, Petroleum (Income Tax) Act, 1967 or Investment Incentives Act, 1968 in modification of or in addition to the existing measures:

Provided an agreement is made between the two Contracting States in respect of the scope of the benefit accorded by the said measures.

3. (a) The amount of Indian tax payable, under the laws of India and in accordance with the provisions of this Agreement, whether directly or by deduction, by a resident of Malaysia, in respect of income from sources within India which has been subjected to tax both in India and Malaysia, shall be allowed as a credit against Malaysian tax payable in respect of such income, but in an amount not exceeding that proportion of Malaysian tax which such income bears to the entire income chargeable to Malaysian tax.

(b) For the purposes of the credit referred to in sub-paragraph (a) above there shall be deemed to have been paid by the resident of Malaysia the amount which would have been paid if the Indian tax had not been reduced or relieved in accordance with the special incentive measures designed to promote economic development in India—

- (i) in relation to royalties, as set forth in the relevant annual Finance Act of India; and
- (ii) in relation to other income as set forth in the following sections of the Income-tax Act, 1961 of India or which may be introduced in future in the Indian tax laws in modification of or in addition to the existing measures, provided that an agreement is made between the two Governments in respect of the scope of the benefit accorded by the said measures:—
 - (aa) Section 10(15) (iv) (b) and (c)—relating to exemption from tax of (a) an approved foreign financial institution in respect of interest on moneys lent by it to an industrial undertaking in India under a loan agreement; and (b) a non-resident in respect of interest on moneys lent or credit facilities allowed by him to an industrial undertaking in India for the purchase outside India of raw materials or capital plant and machinery;
 - (bb) Section 83—relating to development rebate in respect of ships, machinery or plant;

(cc) Section 80J—relating to deduction in respect of profits and gains from eligible industrial undertakings or ships or hotels;

action 80K—relating to deduction in respect of dividends attributable to profits and gains from eligible industrial undertakings or ships or hotels; and

Section 80M—relating to deduction in respect of certain dividends received by a company from a domestic company. This Sub-clause shall apply in relation to a company which is a resident of Malaysia only if such company beneficially holds shares (either singly or together with any company controlling it or any company controlled by it) carrying not less than ten per cent of the voting power in the domestic company and the domestic company is an industrial company.

(iii) any other incentive measure as may be agreed from time to time between the two Contracting States.

CHAPTER V

SPECIAL PROVISIONS

ARTICLE 23

NON-DISCRIMINATION

1. Citizens or nationals of one of the Contracting States shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which citizens or nationals of that other Contracting State in the same circumstances and under the same conditions are or may be subjected. This provision shall not be construed as obliging one of the Contracting States to grant to citizens of the other Contracting State not resident in the first-mentioned Contracting State those personal allowances, reliefs and reductions for tax purposes which are by law available only to citizens of that first-mentioned Contracting State and to such other persons as may be specified in such law who are not resident in that first-mentioned Contracting State.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of one of the Contracting States has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other Contracting State than the taxation levied on enterprises of that other Contracting State carrying on the same activities in the same circumstances and under the same conditions.

Enterprises of one of the Contracting States, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned Contracting State are or may be subjected in the same circumstances and under the same conditions.

4. In this Article, the term "citizens or nationals" in relation to a Contracting State means:—

- (a) all individuals possessing the citizenship or nationality of that Contracting State;
- (b) all legal persons, partnerships, associations and other entities deriving their status as such from the law in force in that Contracting State.

ARTICLE 24

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a resident of one of the Contracting States considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result in taxation not in accordance with this Agreement, he may, notwithstanding the remedies provided by the taxation laws in force in the Contracting States present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident.

2. The competent authority of the first-mentioned Contracting State shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve that case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with this Agreement.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of this Agreement.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purposes of giving effect to the provisions of this Agreement.

ARTICLE 25

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information or document as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or for the prevention or detection of evasion or avoidance of the taxes which are the subject of this Agreement. Any information or document so exchanged shall be treated as secret but may be disclosed to persons (including a court or administrative body) concerned with the assessment, collection, enforcement or prosecution in respect of the taxes which are the subject matter of this Agreement or to persons with respect to whom the information or document relates.

2. The exchange of information or documents shall be either on a routine basis or on request with reference to particular cases. The competent authorities of the Contracting States shall agree from time to time on the list of the information or documents which shall be furnished on a routine basis.

3. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws of administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to supply information or documents which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- (c) to supply information or documents which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process or information the disclosure of which would be contrary to public policy.

ARTICLE 26

DIPLOMATIC AND CONSUMER OFFICIALS

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

CHAPTER VI

FINAL PROVISIONS

ARTICLE 27

ENTRY INTO FORCE

1. This Agreement shall come into force on the date when the last of all such things shall have been done in Malaysia and India as are necessary to give the Agreement the force of law in Malaysia and India respectively.

2. The Contracting States shall notify each other of the completion of the requirements mentioned in paragraph 1 of this Article. The exchange of diplomatic notes certifying that this requirement has been completed shall take place at Kuala Lumpur.

3. Upon the exchange of such diplomatic notes this Agreement shall have effect.

(a) in Malaysia—

as respects Malaysian tax for the year of assessment beginning on 1st January, 1973, and subsequent years of assessment;

(b) in India,—

as respects Indian tax for the assessment year commencing on the 1st day of April, 1973, and subsequent years of assessment.

ARTICLE 28

TERMINATION

1. This Agreement shall continue in effect indefinitely, but either of the Contracting States may, on or before 30th June in any calendar year after the year 1975 give to the other Contracting State written notice of termination and in such event this Agreement shall cease to be effective—

(a) in India—

as respects Indian tax for the year of assessment commencing on the 1st day of April of the calendar year next following the calendar year in which such notice is given and subsequent years of assessment;

(b) in Malaysia—

as respects Malaysian tax for the year of assessment next following the calendar year in which such notice is given and subsequent years of assessment.

IN WITNESS whereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Agreement.

Done in duplicate at New Delhi, this twenty fifth day of October one thousand nine hundred and seventy six in the Hindi, Malay and English languages, all the texts being equally authentic, except that in the case of divergence of interpretation the English text shall prevail.

(Sd.) PRANAB KUMAR MUKHERJEE.

(Sd.) TAN SRI HAJI ABDUL KHALID.

BIN AWANG OSMAN.

for the Govt. of India.

For the Govt. of Malaysia.

PROTOCOL

At the time of signing the Agreement between the Government of India and the Government of Malaysia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, the undersigned have agreed that as regards income derived from a Contracting State by a resident of the other Contracting State from the operation of ships in international traffic the competent authority of the first-mentioned Contracting State shall accept a certificate issued by the competent authority of the other Contracting State for the purpose of Article 8 of the Agreement.

2. The certificate shall show the following:—

(a) the gross income from wherever derived;

(b) income or loss in respect of shipping operations computed for the purpose of taxation in the other Contracting State; and

(c) the total depreciation allowances (excluding any allowance brought forward from a previous period) given by the competent authority of that other Contracting State.

3. Further, it is also agreed that this Protocol shall constitute an integral part of the Agreement.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Protocol.

DONE in duplicate at New Delhi on the 25th day of October, 1976 in the Hindi, Malay and English languages, all the texts being equally authentic, except that in the case of divergence of interpretation the English text shall prevail.

(Sd.) PRANAB KUMAR MUKHERJEE.

For the Govt. of India.

(Sd.) TAN SRI HAJI ABDUL KHALID BIN AWANG OSMAN.

For the Govt. of Mal

[No. 1705/F. No. 11(43)/46.]

J. C. KALRA, Secy.

राजस्व और बैंकिंग विभाग

(राजस्व पक्ष)

अधिसूचना

आयकर

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 1977

स.० का० नि० 167 अ. - यतः भारत सरकार और मलेशिया सरकार ने, दोहरे कराधान के निवारणार्थ और आयपर करों के सम्बन्ध में राजस्व अपवंचन रोकने के लिए, संलग्न अनुबन्ध में यथा विनिर्दिष्ट, करार किया है;

और यतः, उक्त करार के अनुच्छेद 27 के पैराग्राफ 1 की अपेक्षाओं के अनुसार उक्त करार को मलेशिया और भारत में कानूनी रूप देने के लिए, सारी कार्यविधि पूरी कर ली गयी है;

और यतः उक्त करार के अनुच्छेद 27 के पैराग्राफ 2 में यथा अपेक्षित, इस आशय की राजनयिक टिप्पणियों का उक्त दोनों सरकारों के बीच आदान-प्रदान हो चुका है;

अतः अब आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 और क (लाभ) अति कर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) की धारा 24 ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि उक्त करार के सभी उपबन्ध भारत संघ में लागू होंगे ।

अनुबन्ध

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के निवारण और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए भारत सरकार और मलेशिया सरकार के बीच करार

भारत सरकार और मलेशिया सरकार ने,

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के निवारण और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए करने करार की इच्छा से,

निम्नलिखित करार करने किया है :

अध्याय—I

करार का विस्तार

अनुच्छेद—1

व्यक्ति-क्षेत्र

यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संबिदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों के निवासी हैं।

अनुच्छेद—2

करार के अंतर्गत आने वाले कर

1. कर, जो इस करार के विषय है, ये हैं :

(क) मलेशिया में:

(i) आयकर;

(ii) पूरक आयकर, अर्थात् टिन लाभकर, विकास कर और टिम्बर लाभ कर; तथा

(iii) पेट्रोलियम आयकर,

(एतस्मिन् पश्चात् "मलेशियाई कर" के रूप में निर्दिष्ट);

(ख) भारत में:

(i) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन लगाया गया आयकर तथा आयकर पर कोई अतिभार; और

(ii) कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) के अधीन लगाया गया अतिकर।

(एतस्मिन् "पश्चात् भारतीय कर" के रूप में निर्दिष्ट)

2. यह करार पूर्ववर्ती पैराग्राफ में उल्लिखित करों के पर्याप्ततः तादृश ऐसे अन्य करों पर भी लागू होगा जो इस करार पर हस्ताक्षर होने की तारीख के पश्चात् किसी भी संबिदाकारी राज्य में किये जायें।

3. प्रत्येक वर्ष के अंत में, संबिदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी, अपने अपने करानुसंग कानूनों में किये गये महत्वपूर्ण परिवर्तनों से एक दूसरे को अधि सूचित करेंगे।

अध्याय—II

परिभाषाएं

अनुच्छेद—3

सामान्य परिभाषाएं

1. इस करार में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "मलेशिया" पद से अभिप्रेत है मलेशिया संघ और उस में मलेशिया के राज्य-क्षेत्रीय समुद्र का ऐसा कोई भी सहवर्ती क्षेत्र शामिल माना जाएगा जो अंतर्राष्ट्रीय

कानून के अनुसार महाद्वीपीय पुलिन से संबंधित मलयेशिया के कानूनों के अंतर्गत एक ऐसा क्षेत्र रहा है अथवा एतदपश्चात् अभिहित किया जाये जिसमें मलयेशिया के समुद्रतल और अंतर्भूमि तथा उन के प्राकृतिक साधनों संबंधी अधिकारों का प्रयोग दिया जाय:

- (ब) "भारत" पद से अभिप्रेत है भारत का राज्य-क्षेत्र और उस में भारत के राज्य-क्षेत्रीय समुद्र का ऐसा कोई भी सहवर्ती क्षेत्र शामिल माना जायेगा जो, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार, भारत की विधियों के अंतर्गत एक ऐसा क्षेत्र रहा है, अथवा एतदपश्चात् अभिहित किया जाये जिस में, भारत के समुद्र-तल और अंतर्भूमि तथा उन के प्राकृतिक साधनों संबंधी अधिकारों का प्रयोग किया जाये ;
- (ग) "संविदाकारी राज्यों में से एक" तथा "दूसरे संविदाकारी राज्य" पद से, संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार, मलयेशिया अथवा भारत अभिप्रेत हैं;
- (घ) "कर" पद से संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार, "मलयेशियाई कर" अथवा "भारतीय कर" अभिप्रेत है ;
- (ङ) 'कंपनी' पद से कोई भी ऐसा निगमित निकाय अथवा कोई ईकाई अभिप्रेत है, जो परस्पर संविदाकारी राज्यों के कराधान कानूनों के अंतर्गत, कर के प्रयोजनों के लिए निगमित निकाय के रूप में मानी जाती है ;
- (च) 'व्यक्ति' पद से वह अर्थ अभिप्रेत है जो परस्पर संविदाकारी राज्यों में प्रवर्तमान कराधान कानूनों में इसके लिए अभिहित किया गया हो ;
- (छ) 'मलयेशियाई उद्यम' तथा 'भारतीय उद्यम' पदों से क्रमशः मलयेशिया के किसी निवासी द्वारा संचालित उद्यम और भारत के किसी निवासी द्वारा संचालित उद्यम अभिप्रेत हैं ;
- (ज) 'संविदाकारी राज्यों में से एक का उद्यम' तथा 'दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम' पदों से, संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार, मलयेशियाई उद्यम अथवा भारतीय उद्यम अभिप्रेत है ;
- (झ) 'सक्षम प्राधिकारी' पद से अभिप्रेत है, मलयेशिया के मामले में, वित्त मंत्री अथवा उसका प्राकृतिक प्राधिकृत प्रतिनिधि; और भारत के मामले में, केन्द्रीय सरकार का वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) ।

2. संविदाकारी राज्यों में से किसी एक द्वारा इस करार के प्रवर्तन में, किसी भी पद का, जो अन्यथा परिभाषित नहीं हुआ हो, संदर्भ की अन्यथा अपेक्षा नहीं होने पर, वही अर्थ होगा जो उस संविदाकारी राज्य के उन करों से संबंधित कानूनों के अंतर्गत होता है जो इस करार के विषय हैं ।

अनुच्छेद-4

आर्थिक अधिवास

1. इस करार में, जब तक संदर्भ की अन्यथा अपेक्षा नहीं हो —

(क) 'मलयेशिया का निवासी' पद से अभिप्रेत है :

मलयेशियाई कर के प्रयोजन के लिए कर-निर्धारण के [किसी वर्ष] के आधार वर्ष के लिए —

(i) ऐसा व्यक्ति जो साधारणतः मलयेशिया का निवासी है, अथवा.

(ii) व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति जो मलयेशिया का निवासी है ;

(ख) 'भारत का निवासी' पद से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसे भारतीय कर के प्रयोजन के लिए संगत कर-निर्धारण वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष में भारत का निवासी माना गया है ;

(ग) 'संविदाकारी राज्यों में से एक का निवासी' और 'दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी' पदों से, संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार, मलयेशिया का निवासी अथवा भारत का निवासी अभिप्रेत है ।

2. जहाँ इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो तो उस स्थिति में उसके निवास की हैसियत निम्न-लिखित नियमों के अनुसार निश्चित की जाएगी :—

(क) वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जहाँ उसका स्थायी निवास-गृह हो । यदि उसका संविदाकारी दोनों राज्यों में स्थायी निवास-गृह हो तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा, उसके साथ उस के व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर हैं ।

(ख) यदि उस संविदाकारी राज्य का, जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर हैं, निश्चय नहीं किया जा सकता हो अथवा यदि उसका संविदाकारी किसी भी राज्य में स्थायी निवास-गृह नहीं हो तो उस वह संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसका व्यावहारिक आवास हो ;

(ग) यदि उसका व्यावहारिक आवास संविदाकारी दोनों राज्यों में है अथवा इनमें से किसी भी राज्य में नहीं है, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसका वह नागरिक है ;

(घ) यदि वह संविदाकारी दोनों राज्यों का नागरिक है अथवा उनमें से किसी का भी नागरिक नहीं है तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करेंगे ।

3. जहाँ व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के अनुसार संविदाकारी दोनों राज्यों का निवासी हो तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसमें उसका वास्तविक प्रबंध अवस्थित है ।

अनुच्छेद-5

स्थायी स्थापन

1. इस करार के प्रयोजन के लिए, 'स्थायी स्थापन' पद से कारोबार का वह नियमित स्थान अभिप्रेत है, जहाँ उद्यम का कारोबार सम्पूर्णतः अथवा अंशतः चलाया जाता है ।

2. 'स्थायी स्थापन' पद में विशेषतः निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :

- (क) प्रबंध का स्थान ;
- (ख) शाखा ;
- (ग) कार्यालय ;
- (घ) कारखाना ;
- (ङ) कर्मशाला ;
- (च) भाषागार ;
- (छ) खान, तेल-कूप, खदान अथवा प्राकृतिक साधनों के निष्कर्षण का अन्य स्थान ;
- (ज) भवन स्थल अथवा निर्माण प्रतिष्ठान अथवा समंजन परियोजना जो 6 महीनों से अधिक समय से विद्यमान हो ;
- (झ) फार्म अथवा बागान ;
- (ञ) टिम्बर अथवा वन-उत्पाद के निष्कर्षण का स्थल ।

3. 'स्थायी स्थापन' पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं माना जाएगा :

- (क) उद्यम के माल अथवा पण्यवस्तुओं के भण्डारकरण, प्रदर्शन अथवा सुपुर्दगी के अनन्य प्रयोजनार्थ सुविधाओं का प्रयोग ;
- (ख) उद्यम के माल अथवा पण्यवस्तुओं के भण्डारकरण, प्रदर्शन अथवा सुपुर्दगी के अनन्य प्रयोजनार्थ स्टॉक रखना ;
- (ग) अन्य उद्यम द्वारा प्रक्रियाकरण के अनन्य प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा वस्तुओं का स्टॉक रखना ;
- (घ) उद्यम के लिए माल अथवा पण्यवस्तुओं का क्रय करने अथवा सूचना संग्रह के अनन्य प्रयोजनार्थ कारोबार का नियत स्थान रखना ;
- (ङ) उद्यम के लिए, विज्ञापन, सूचना देने, वैज्ञानिक अनुसंधान अथवा इसी प्रकार के कार्यों के अनन्य प्रयोजनार्थ, जो प्रारंभिक अथवा सहायक किस्म के हों, कारोबार का नियत स्थान रखना ।

4. संविदाकारी राज्यों में से एक के उद्यम का दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थायी स्थापन माना जायगा, यदि :

- (i) वह, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में संचालित किसी निर्माण, प्रतिष्ठान अथवा समंजन परियोजना के संबंध में, छः महीने से अधिक समय से उस दूसरे संविदाकारी राज्य में पर्यवेक्षी कार्य करता हो ;

(ii) वह ऐसा कारोबार करता हो जो दूसरे संविदाकारी राज्य में लोक मनोरंजनकतियों (जैसे रंग-मंच, चल-चित्र, रेडियो अथवा टेलीविजन कलाकारों और संगीतज्ञों) अथवा खिलाड़ियों की सेवाओं का प्रबंध करने का हो ; यदि उद्यम को, ऐसी सेवाओं का प्रबंध करने के संबंध में प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य की सरकार को राजकीय तिथियों से प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः, पूर्णतः अथवा पथान्त रूप से सहायता नहीं दी जाती है ।

5. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 6 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संविदाकारी एक राज्य में, दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य में उस उद्यम का स्थायी स्थापन माना जाएगा, यदि :

(क) वह उस प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य में, उस उद्यम की ओर से संविदा करने का प्राधिकार रखता है और उस का व्यावहारिक प्रयोग करता है, जबकि उसके क्रियकलाप उस उद्यम के लिए माल अथवा पण्यवस्तुओं के श्रय तक ही सीमित नहीं हों ; अथवा

(ख) वह प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य में, उस उद्यम के माल अथवा पण्यवस्तुओं का ऐसा स्टॉक रखता है, जिसमें से वह उस उद्यम की ओर से नियमित रूप से आर्डरों की पूर्ति करता है ।

6. संविदाकारी राज्यों में से एक के उद्यम का दूसरे संविदाकारी राज्य में माल इस कारण के स्थायी स्थापन नहीं माना जाएगा कि वह उस दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है, जहां ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार के सामान्य सिलसिले में काम कर रहे हों ।

7. इस तथ्य से कि कोई कंपनी, जो संविदाकारी राज्यों में से एक की निवासी है, किसी ऐसी कंपनी का नियंत्रण करती है अथवा उस के द्वारा नियंत्रित होती है जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में (किसी स्थायी स्थापन के माध्यम से अथवा (ग) व्यापार अथवा कारोबार चलाती है, उन दोनों कंपनियों में से कोई भी कंपनी स्वतः दूसरी कंपनी का स्थायी स्थापन नहीं बन जाएगी ।

अध्याय -III

आय का करधान

अनुच्छेद-6

अचल सम्पत्ति से आय

1. अचल सम्पत्ति से आय उस संविदाकारी राज्य में कराधेय हो सकेगी, जिसमें ऐसी सम्पत्ति स्थित हो ।

2. 'अचल सम्पत्ति' पद की परिभाषा उस संविदाकारी राज्य की विधि के अनुसार की जाएगी, जिसमें संबंधित सम्पत्ति स्थित है । इस पद में, किसी भी हालत में वे शामिल होंगे—अचल सम्पत्ति के उपसाधन रूप में सम्पत्ति, कृषि और वन-सम्पत्ति में प्रयुक्त पशु-धन तथा उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर शून्य-सम्पत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबंध लागू

होते हैं, अचल सम्पत्ति को भोगने के अधिकार, खनिज भण्डार, तेल कूप, खदान, तथा प्राकृतिक साधनों अथवा टिम्बर अथवा वन-उत्पादों के निष्कर्षण के अन्य स्थानों का संचालन अथवा संचालन-अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत अदायगियों के अधिकार; पोत, नौकाएँ तथा विमान अचल सम्पत्ति नहीं माने जाएंगे।

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के उपबन्ध, अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष प्रयोग से, किराए पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार के प्रयोग से होने वाली आय पर लागू होंगे।

4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 और 3 के उपबन्ध किसी उद्यम की अचल सम्पत्ति से होने वाली आय पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद - 7

कारोबार से लाभ

1. संविदाकारी राज्यों में से एक राज्य का उद्यम, यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी स्थापन के माध्यम से कारोबार नहीं चलाता हो तो उस उद्यम की आय अथवा लाभ केवल उसी संविदाकारी राज्य में कराधेय होंगे। यदि उद्यम पूर्वोक्त प्रकार से कारोबार में लगा हुआ है तो उद्यम की आय अथवा लाभों पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, परन्तु केवल उतनी ही आय अथवा लाभों पर जो उस स्थायी स्थापन के कारण हुए माने जा सकते हैं।

2. जहां संविदाकारी राज्यों में से एक राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में, वहां स्थित किसी स्थायी स्थापन के माध्यम से कारोबार करता है, वहां प्रत्येक संविदाकारी राज्य में उस स्थायी स्थापन के कारण उसको उस आय अथवा लाभ का होना माना जाएगा, जिनके प्राप्त होने की तब अपेक्षा रहती, जब वह, उन्हीं अथवा वैसे ही अवस्था के अधीन उन्हीं अथवा वैसे ही कार्यों में लगा हुआ स्वतन्त्र तथा अलग उद्यम होता, और जिस उद्यम का वह स्थायी स्थापन है, उसके साथ पूर्णतः स्वतन्त्र रूप से व्यवहार करता होता।

3. किसी स्थायी स्थापन की आय अथवा लाभों के निर्धारण में उन व्ययों की कटौतियों की स्वीकृति दी जाएगी, जो स्थायी स्थापन के प्रयोजनों के लिए किए गए और उनमें इस प्रकार किए गए कार्यपालीय तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय शामिल चाहे वे उस राज्य में किए गए हों जहां स्थायी स्थापन स्थित है अथवा अन्यत्र।

4. जहां किसी संविदाकारी राज्य में, उद्यम की कुल आय अथवा लाभों को उसके विभिन्न अंगों के प्रति अनुभाजन के आधार पर, किसी स्थायी स्थापन के कारण माने जाने वाली आय अथवा लाभों को निश्चित करने की प्रथा हो, वहां इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) अथवा पैराग्राफ (3) की कोई भी व्यवस्था उस संविदाकारी राज्य को, ऐसी यथा-रुद्धि प्रभाजन पद्धति से, कर लगाने वाली आय अथवा लाभों को निश्चित करने से निवारित नहीं करेगी। तथापि अपनायी गई प्रभाजन पद्धति ऐसी होगी कि उसका परिणाम इस अनुच्छेद में विहित सिद्धान्तों के अनुसार होगा।

5. कोई आय अथवा लाभ, केवल इस कारण स्थायी स्थापन को हुए नहीं माने जाएंगे कि उस स्थायी स्थापन ने, जिस उद्यम का वह स्थायी स्थापन है, उस उद्यम को निर्यात करने के प्रयोजन से माल अथवा पण्यवस्तुएं खरीदी हैं।

6. जहां आय अथवा लाभों में आय की वे मद शामिल हों, जिनके बारे में इस करार के अन्य अनुच्छेदों में अलग से व्यवस्था है, वहां उन अनुच्छेदों के उपबन्ध इस अनुच्छेद के उपबन्धों द्वारा प्रभावित नहीं होंगे।

अनुच्छेद-8

जहाज रान

1. संविदाकारी राज्यों में से एक राज्य के उद्यम को दूसरे संविदाकारी राज्य से अंतर्राष्ट्रीय यातायात में पोत परिवहन से हुई आय पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, लेकिन ऐसी आय पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में प्रभाय कर को उस कर की 50 प्रतिशत के बराबर रकम से घटा दिया जाएगा।

2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के प्रयोजनों के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य से प्राप्त आय का अर्थ, उस दूसरे संविदाकारी राज्य से जलमोतों द्वारा भेजे गए यात्रियों, डाक, पशु-धन अथवा माल को ले जाने से होने वाली आय से होगा।

परन्तु इसमें ऐसे यात्रियों, डाक, पशु-धन अथवा माल ले जाने से होने वाली आय शामिल नहीं होगी, जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य में केवल नौका-अंतरण के लिए अथवा विमान से पोत अथवा किसी एक पोत से दूसरे पोत को अंतरण के लिए लाए गए हैं।

3. जहां संविदाकारी राज्यों में से किसी एक राज्य के उद्यम को अंतर्राष्ट्रीय यातायात में पोत परिवहन से आय, संविदाकारी राज्यों से भिन्न किसी राज्य से हुई हो, वहां ऐसी आय पर केवल उस संविदाकारी राज्य में ही कर लग सकेगा, जिसका वह उद्यम निवासी है।

4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1, 2 और 3 के उपबन्ध इसी तरह उस आय के संबंध में भी लागू होंगे, जो पोत-परिवहन कार्यों में प्रयुक्त ऐसे उद्यम द्वारा किसी भी प्रकार के पोत-परिवहन पुल में भाग लेने से हुई हो।

अनुच्छेद-9

विमान-परिवहन

1. संविदाकारी राज्यों में से एक राज्य के उद्यम को दूसरे संविदाकारी राज्य से अंतर्राष्ट्रीय यातायात में विमान परिवहन से हुई आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर नहीं लगाया जाएगा।

2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के प्रयोजनों के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य से प्राप्त आय का अर्थ उस दूसरे संविदाकारी राज्य से यात्रियों, डाक, पशु-धन अथवा माल को ले जाने से होने वाली आय से होगा।

3. जहां संविदाकारी राज्यों में से किसी एक राज्य के उद्यम को अंतर्राष्ट्रीय यातायात में विमान-परिवहन से आय, संविदाकारी राज्यों से भिन्न किसी राज्य से होती हो, वहां ऐसी आय केवल उस संविदाकारी राज्य में ही कर लगने योग्य होगी, जिसका वह उद्यम निवासी है।

4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1, 2 और 3 उपबन्ध इसी तरह उस आय पर भी लागू होंगे, जो विमान-परिवहन कार्यों में लगे ऐसे उद्यम द्वारा किसी भी प्रकार के विमान परिवहन पुलों में भाग लेने से उत्पन्न हुई हो।

अनुच्छेद—10

अनुसूची उद्यम

जहाँ—

- (क) संविदाकारी राज्यों में से एक राज्य का उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में, प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है, अथवा
- (ख) वे ही व्यक्ति, प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः संविदाकारी राज्यों में से एक राज्य के किसी उद्यम में और दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम के प्रबंध नियंत्रण अथवा पूंजी में भाग लेते हैं,

और दोनों में से किसी भी अर्थस्था में, दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगाई जाती हैं, जो वैसी शर्तों से भिन्न हैं, जैसी स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं, वहाँ ऐसी कोई आय अथवा लाभ जो, इन शर्तों के नहीं होने की ह्रासत में, उन उद्यमों में से एक को प्राप्त हुए होते किन्तु उन शर्तों के कारण प्राप्त नहीं हुए, तो वह आय अथवा लाभ उस उद्यम की आय अथवा लाभों में सम्मिलित किये जा सकेंगे और वे तदनुसार कराधान हो सकेंगे।

अनुच्छेद—11

लाभांश

1. जो कंपनी एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, उसके द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को अदा किए गए लाभांश प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य में कराधान होंगे।

2. जहाँ किसी ऐसी कंपनी द्वारा लाभांश अदा किया गया हो जो मलेशिया और सिंगापुर दोनों की निवासी थी और जिस बैठक में लाभांश घोषित किया गया वह मलेशिया में हुई थी, अथवा जहाँ किसी ऐसी कंपनी द्वारा लाभांश अदा किया गया हो जिसका निवास सिंगापुर में था और उस लाभांश को अदा करते समय उस कंपनी ने मलेशिया सरकार और सिंगापुर की सरकार के बीच, आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के निवारणार्थ और वित्तीय अपव्यय को रोकने के लिए 26 दिसम्बर, 1968 को सिंगापुर में हस्ताक्षरित करार के अनुच्छेद VII के प्रयोजनों के लिए, अपने आपको मलेशिया की निवासी घोषित किया हो, वहाँ लाभांश मलेशिया की निवासी कंपनी द्वारा अदा किया गया माना जायेगा।

3. जहाँ किसी ऐसी कंपनी द्वारा लाभांश अदा किया गया हो जो मलेशिया और सिंगापुर दोनों की निवासी थी और जिस बैठक में लाभांश घोषित किया गया वह सिंगापुर में हुई थी, अथवा जहाँ किसी ऐसी कंपनी द्वारा लाभांश अदा किया गया हो जिसका निवास मलेशिया में था और उस लाभांश को अदा करते समय उस कंपनी ने, मलेशिया सरकार और सिंगापुर गणतंत्र की सरकार के बीच, आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के निवारणार्थ और वित्तीय अपव्यय को रोकने के लिए 26 दिसम्बर, 1968 को सिंगापुर में हस्ताक्षरित करार के अनुच्छेद VII के प्रयोजनों के लिए, अपने आपको सिंगापुर की निवासी घोषित किया हो, वहाँ लाभांश ऐसी कंपनी द्वारा अदा किया गया माना जायेगा, जो मलेशिया की निवासी नहीं है।

4. इस अनुच्छेद की किसी भी व्यवस्था का, मलेशिया के कानून के उक्त उपबंधों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिनके अंतर्गत उस कर को, जो मलेशिया की निवासी किसी ऐसी कंपनी द्वारा अदा किये गये लाभांश के संबंध में है जिससे मलेशियाई कर काटा गया है अथवा काटा गया मान लिया गया है, करों की उन दरों के संदर्भ में समायोजित किया जा सकता है, जो लाभांश की अदायगी वाले वर्ष के तत्काल परवर्ती कर-निर्धारण वर्ष में लागू रही हों।

5. जहाँ कोई कंपनी जो संविदाकारी राज्यों में से एक की निवासी है, ऐसे साधनों से आश्रय अथवा लाभ प्राप्त करती है, जो दूसरे संविदाकारी राज्य के अंदर स्थित है, वहाँ कंपनी द्वारा उक्त व्यक्तियों को दिये गये लाभांशों पर, जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी नहीं हैं, दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी प्रकार का कर नहीं लगाया जायगा अथवा कंपनी के अतिरिक्त लोगों पर अतिरिक्त लाभ-कर की किस्म का कोई कर नहीं लगाया जायगा, चाहे वे लाभांश पूर्णतः अथवा अंशतः इस प्रकार प्राप्त आय अथवा लाभ के रूप में हों।

अनुच्छेद-12

ब्याज

1. संविदाकारी राज्यों में से एक के निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य से प्राप्त ब्याज पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा।

2. किसी संविदाकारी राज्य से ब्याज उद्भूत माना जायगा, यदि ब्याज अदा करने वाला उस संविदाकारी राज्य की सरकार, राज्य सरकार, कोई राजनीतिक उपसंजल, कोई स्थानीय प्राधिकारी अथवा उस संविदाकारी राज्य का कोई निवासी हो। किन्तु जहाँ ब्याज अदा करने वाले का दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसा स्थायी स्थापन है, जिससे वह ऋण अथवा अन्य कर्जदारी, जिसके संबंध में ब्याज अदा किया गया है, प्रभावी रूप से संबंधित है और वह ब्याज उक्त स्थायी स्थापन द्वारा उद्भूत किया जाता है तब वह ब्याज उस संविदाकारी राज्य से उद्भूत माना जायगा जिसमें स्थायी स्थापन स्थित है। इस प्रकार के मामले में अनुच्छेद 7 के उपबंध लागू होंगे।

3. जहाँ ब्याज अदा करने वाले और प्राप्तकर्ता के बीच, अथवा उन दोनों के और किसी अन्य व्यक्ति के बीच, विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण, अदा की गयी ब्याज की रकम, उस ऋण-दाते को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए ब्याज की रकम अदा की गयी है, उस रकम से गण्य जाती है, जिसके लिए इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में, अदा करने वाला और प्राप्तकर्ता के बीच सहमति हो गयी होती, वहाँ इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अंतिम अंशित रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में अदायगी के आधे-भाग पर, इस करार के अन्य उपबंधों का अनुपालन करते हुए, अत्यंत संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जायेगा।

4. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त 'ब्याज' पद से, सरकारी प्रतिभूतियों, बंधपत्रों अथवा ऋण-पत्रों, चाहे वे बंधक द्वारा प्रतिभूत हों अथवा नहीं, और चाहे उनको लाभों में भागीदारी का अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं, और सभी प्रकार के ऋण-दातों से प्राप्त आय तथा साथ ही सभी अन्य ऐसी आय से अभिप्राय है, जो, जिस राज्य में उक्त आय उद्भूत हुई हो, उस राज्य के कराधान कानून के अनुसार, उधार दिए गए धन से आय आय में समाविष्ट की गयी हो।

अनुच्छेद-13

स्वामिस्व

1. संविदाकारी राज्यों में से एक के निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य से प्राप्त स्वामिस्व उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कराधेय हो सकेंगे ।

2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के उपबंधों के रहते हुए भी, इस अनुच्छेद के पैरा 5 के खंड (क) और (ख) में उल्लिखित प्रकार के जो स्वामिस्व भारत के निवासी को मलेशिया से प्राप्त हुए हों, वे जिस करार के अंतर्गत देय होते हैं, उस करार को, मलेशिया की सरकार का अनुमोदन इस करार पर हस्ताक्षर होने के बाद, प्राप्त हुआ हो तो, वे मलेशिया में कर-मुक्त रहेंगे ।

3. किसी संविदाकारी राज्य से स्वामिस्व उद्भूत हुए माने जायेंगे, यदि स्वामिस्व अदा करने वाला उस संविदाकारी राज्य की सरकार, राज्य सरकार, कोई राजनीतिक उपमंडल, कोई स्थानीय प्राधिकारी अथवा उस संविदाकारी राज्य का कोई निवासी हो । परन्तु जहां स्वामिस्व अदा करने वाले का, दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसा स्थायी स्थापन है, जिसके साथ वह अधिकार अथवा सम्पत्ति, जिससे स्वामिस्व उद्भूत होते हैं, प्रभावी रूप से संबंधित है, वहां ऐसे स्वामिस्व उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुए माने जायेंगे, जिसमें वह स्थायी स्थापन स्थित है । ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 के उपबंध लागू होंगे ।

4. जहां, स्वामिस्व अदा करने वाले और प्राप्तकर्ता के बीच अथवा उन दोनों के और किसी अन्य व्यक्ति के बीच, विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण स्वामिस्वों की रकम, उसके ऐसे इस्तेमाल, अधिकार अथवा सूचना को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए वह स्वामिस्व अदा किया गया है, उस रकम से बढ़ जाती है जिसके लिए इस प्रकार के संबंध न होने की स्थिति में अदा करने वाले और प्राप्तकर्ता के बीच सहमति ही गयी होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अंतिम वर्णित रकम पर लागू होंगे । ऐसे मामले में अदायगियों के अधि-भाग पर, इस करार के अन्य उपबंधों का अनुपालन करते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जायेगा ।

5. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त 'स्वामिस्व' शब्द से निम्नलिखित के प्रयोग अथवा प्रयुक्त अधिकार के प्रतिफल के रूप में प्राप्त किसी भी प्रकार की अदायगी से अभिप्राय है—

- (क) कोई पेटेंट, व्यापार-चिह्न, डिजाइन अथवा माडल, प्लान, गुप्त-फार्मूला अथवा प्रक्रिया;
- (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक, अथवा वैज्ञानिक उपस्कर, अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभूत ज्ञान से संबंधित सूचना;
- (ग) साहित्यिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक कृतियों, चल चित्र फिल्म, अथवा टेलीविजन अथवा प्रसारण के लिए टेपों का कोई कापीराइट ।

किन्तु इसमें खानों अथवा खदानों के संचालन अथवा प्राकृतिक साधनों के निष्कर्षण अथवा अपनयन के संबंध में संदत्त स्वामिस्व अथवा अन्य रकमें शामिल नहीं होंगी ।

अनुच्छेद-14

परावलम्बित व्यक्तिक सेवाएं

1. संविदाकारी राज्यों में से एक के निवासी को, नियोजन के संबंध में, अनुच्छेद 15, 17 और 18 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्राप्त वेतन, मंजूरी तथा अन्य इसी प्रकार के पारिश्रमिक पर कर, यदि नियोजन का प्रयोग दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं किया गया है तो, केवल उसी संविदाकारी राज्य में लग सकेगा। यदि नियोजन का प्रयोग दूसरे संविदाकारी राज्य में किया गया है तो जो पारिश्रमिक उससे प्राप्त हुआ हो उस पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा।

2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 की व्यवस्था के होते हुए भी, किसी व्यक्ति को जो मलयेशिया का निवासी हो, किसी पिछले वर्ष में भारत में किये गये किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर भारत में कर से छूट प्राप्त होगी, यदि —

- (क) वह उस पिछले वर्ष के दौरान ऐसी अवधि अथवा अवधियों के लिए भारत में मौजूद रहा है जो कुल मिलाकर 183 दिन से अधिक नहीं है;
- (ख) वह अवधि जिसमें वह भारत में मौजूद रहा है, 183 दिन से अधिक को ऐसी निरन्तर अवधि का भाग नहीं है जिसमें वह भारत में मौजूद रहा है; और
- (ग) पारिश्रमिक ऐसे नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से चुकाया गया है जो भारत का निवासी नहीं है; और
- (घ) पारिश्रमिक की रकम, किसी ऐसे उद्यम की आय अथवा लाभों की संगणना में कटौती योग्य नहीं है, जिस पर भारतीय कर प्रभावी है।

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 की व्यवस्था के रहते हुए भी, किसी व्यक्ति को, जो भारत का निवासी हो, मलयेशिया में कर-निर्धारण वर्ष के किसी आधार वर्ष में किये गये नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर मलयेशिया में कर से छूट प्राप्त होगी, यदि —

- (क) वह उस आधार वर्ष के दौरान ऐसी अवधि अथवा अवधियों के लिए मलयेशिया में मौजूद रहा है जो कुल मिलाकर 183 दिन से अधिक नहीं है; और
- (ख) वह अवधि जिसमें वह मलयेशिया में मौजूद रहा है, 183 दिन से अधिक को ऐसी निरन्तर अवधि का भाग नहीं है, जिसमें वह मलयेशिया में मौजूद रहा है; और
- (ग) पारिश्रमिक ऐसे नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से चुकाया गया है जो मलयेशिया का निवासी नहीं है; और
- (घ) पारिश्रमिक की रकम, किसी ऐसे उद्यम की आय अथवा लाभों की संगणना में कटौती योग्य नहीं है, जिस पर मलयेशिया-कर प्रभावी है।

4. इस अनुच्छेद की पूर्ववर्ती व्यवस्था के होते हुए भी अंतरराष्ट्रीय यातायात में लगे और संविदाकारी राज्यों में से किसी एक के उद्यम द्वारा संचालित पोत अथवा विमान पर किये गये नियोजन के संबंध में पारिश्रमिक पर कर उक्त संविदाकारी राज्य में लग सकेगा।

5. किसी कंपनी के निदेशक को कम्पनी से प्राप्त पारिश्रमिक के संबंध में इस अनुच्छेद के उपबन्ध इस प्रकार लागू होंगे मानो वह पारिश्रमिक किसी नियोजन के संबंध में किसी कर्मचारी को प्राप्त पारिश्रमिक हो।

अनुच्छेद-15

निदेशकों की फीस

अनुच्छेद 14 के उपबंधों के होते हुए भी, संविदाकारी राज्यों में से एक के निवासी को किसी ऐसी कम्पनी के निदेशक मंडल के सदस्य की हैसियत से जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, प्राप्त फीस और इसी प्रकार की अदायगियों पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा।

अनुच्छेद-16

कलाकार और खिलाड़ी

अनुच्छेद 14 के उपबंधों के होते हुए भी, लोक मनोरंजनकर्ताओं (जैसे रंग-मंच, चल-चित्र, रेडियो अथवा टेलीविजन कलाकार और संगीतकार) अथवा खिलाड़ियों को वैसे अपने व्यक्तित्व कार्य से प्राप्त आय पर उस संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा, जिसमें ऐसे कार्य किये गये हों।

किंतु ऐसी आय पर उक्त संविदाकारी राज्य में कर नहीं लग सकेगा, यदि लोक-मनोरंजन-कर्ताओं अथवा खिलाड़ियों की उस राज्य की यात्रा का व्यय प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार की सार्वजनिक निधियों से पूर्णतः अथवा प्रयाप्ततः किया गया हो।

2. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, 'सरकार' पद में संविदाकारी राज्यों में से किसी भी राज्य की राज्य-सरकार, राजनीतिक उपमंडल, अथवा स्थानीय अथवा सांविधिक प्राधिकारी सम्मिलित माने जायेंगे।

अनुच्छेद-17

घर-सरकारी पेंशन और वार्षिकियां

यदि किसी व्यक्ति को, जो संविदाकारी राज्यों में से किसी एक का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य से विगत सेवाओं के लिए कोई पेंशन (अनुच्छेद 18 में उल्लिखित प्रकार के पेंशन से अलग) अथवा कोई वार्षिकी प्राप्त होती है तो उस पेंशन अथवा वार्षिकी पर प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य में ही कर लग सकेगा।

अनुच्छेद-18

सरकारी पारिश्रमिक और पेंशन

1. मलेशिया सरकार द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को, जो मलेशिया का नागरिक है, भारत में सरकारी कार्य-निष्पत्ति में की गयी सेवाओं के लिए दिया गया पारिश्रमिक (जो पेंशन नहीं है) भारतीय कर से मुक्त रहेगा।

2. भारत सरकार द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को, जो भारत का नागरिक है, मलेशिया में सरकारी कार्य-निष्पत्ति में की गयी सेवाओं के लिए दिया गया पारिश्रमिक (जो पेंशन नहीं है) मलेशिया के कर से मुक्त रहेगा।

3. संविदाकारी राज्यों में से किसी एक की सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को दी गयी किसी पेंशन पर उस संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा।

4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध, संविदाकारी राज्यों में से किसी एक की सरकार द्वारा, लाभ के प्रयोजन से किये गये किसी कारोबार के संबन्ध में की गई निवाहों के लिए की गयी अदायगियों पर लागू नहीं होंगे।

5. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए 'सरकार' पद में संविदाकारी राज्यों में से किसी एक को कोई राज्य सरकार अथवा स्थानीय अथवा सांविधिक प्राधिकारी और विशेषतः बैंक नेगारा मलयेशिया तथा भारत का रिज़र्व बैंक शामिल माने जायेंगे।

अनुच्छेद-19

विद्यार्थी और प्रशिक्षु

1. किसी ऐसे व्यक्ति को, जो संविदाकारी राज्यों में से किसी एक का निवासी है और दूसरे संविदाकारी राज्य की यात्रा, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय विद्यालय अथवा दूसरे वैसे ही मान्यताप्राप्त शिक्षा संस्था के केवलमात्र विद्यार्थी के रूप में, अथवा उसमें कारोबार या तकनीकी प्रशिक्षु के रूप में करता है और वह यात्रा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में इस संबन्ध में उसके प्रथम आगमन की तारीख से ऐसी अवधि के लिए है जो पांच वर्ष से अधिक नहीं है, तो उसे, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में, निम्नलिखित के संबन्ध में कर से छूट मिलेगी :--

(क) उसके भरण पोषण, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ विदेश से भेजी गई सब रकमें; और

(ख) उस दूसरे संविदाकारी राज्य में की गई वैयक्तिक सेवाओं के बबले प्राप्त कोई पारिश्रमिक (जो किसी कर-निर्धारण वर्ष के आधार वर्ष में अथवा पूर्ववर्ती वर्ष में, जैसी भी स्थिति हो, 3,000 मलयेशियाई डालर अथवा 7,500 भारतीय रुपये से अधिक नहीं हो और) जो उक्त प्रयोजनार्थ उसे उपलब्ध सधनों की पूर्ति के उद्देश्य से की गयी हो।

2. जो व्यक्ति, संविदाकारी राज्यों में से किसी एक का निवासी है, और जो संविदाकारी राज्यों में से किसी एक की सरकार से अथवा किसी वैज्ञानिक, शैक्षिक, धार्मिक अथवा समर्थ संगठन को अनुदान, भत्ता अथवा पुरस्कार प्राप्तकर्ता के रूप में अथवा संविदाकारी राज्यों में से किसी एक की सरकार द्वारा किये गये तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत अध्ययन, अनुसंधान अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजन से दूसरे संविदाकारी राज्य में जाता है, तो उसको इस यात्रा के संबन्ध में उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके प्रथम आगमन की तारीख से ऐसी अवधि के लिए जो पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में, निम्नलिखित के संबन्ध में कर से छूट प्राप्त रहेगी :--

(क) उक्त अनुदान, भत्ते अथवा पुरस्कार की रकम ;

(ख) उसके भरण-पोषण, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के निमित्त विदेश से प्राप्त सभी रकमें ;
और

(ग) उस दूसरे संविदाकारी राज्य में सेवाओं के सम्बन्ध में कोई पारिश्रमिक (जिसकी रकम किसी कर-निर्धारण वर्ष के, यथास्थिति, आधार वर्ष अथवा पिछले वर्ष के लिए तीन हजार मलयेशियाई डालर अथवा 7,500 भारतीय रुपये से अधिक नहीं हो), यदि ऐसी सेवाएं उसके अध्ययन, अनुसंधान, प्रशिक्षण के सम्बन्ध में हैं अथवा प्रासंगिक रूप में की जाती हैं।

3. जो व्यक्ति संविदाकारी राज्यों में से किसी एक का निवासी है और दूसरे संविदाकारी राज्य की यात्रा, प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य की सरकार अथवा उद्यम के मातृ कर्मचारी के रूप में अथवा उनके साथ किये गये करार के अन्तर्गत तकनीकी, व्यावसायिक अथवा कारोबार सम्बन्धी अनुभव प्राप्त करने के मूल प्रयोजन से, करता है और वह यात्रा उसके उस दूसरे संविदाकारी राज्य में इस सम्बन्ध में प्रथम आगमन की तारीख से ऐसी अवधि के लिए है जो 12 महीने से अधिक नहीं है, तो उसको उस दूसरे संविदाकारी राज्य में, निम्नलिखित के सम्बन्ध में कर से छूट प्राप्त रहेगी :—

(क) उसके भरण-पोषण, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनों के लिए विदेश से प्राप्त सभी रकमों ; और

(ख) उस दूसरे संविदाकारी राज्य में की गई वैयक्तिक सेवाओं के लिए कोई पारिश्रमिक, जहाँ तक यह रकम, यथास्थिति, 5 हजार मलयेशियाई डालर अथवा 12,500 भारतीय रुपये से अधिक नहीं हो, यदि ऐसी सेवायें उसके अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के सम्बन्ध में हैं अथवा उसके प्रासंगिक रूप में हैं ।

4. इस अनुच्छेद तथा अनुच्छेद 20 के प्रयोजनों के लिए—

(i) 'सरकार' पद का वही अर्थ होगा जैसा अनुच्छेद 18 के पैराग्राफ 5 में दिया गया है ।

(ii) किसी व्यक्ति को संविदाकारी राज्य का निवासी माना जायगा यदि वह, यथास्थिति, जिस आधार वर्ष अथवा पिछले वर्ष में, उस दूसरे संविदाकारी राज्य की यात्रा करता है, उस वर्ष में अथवा उसके तत्काल पूर्ववर्ती आधार वर्ष अथवा पिछले वर्ष में, उस संविदाकारी राज्य का निवासी रहा हो ।

अनुच्छेद-20

प्राध्यापक, अध्यापक और अनुसंधानकर्ता

1. जो व्यक्ति संविदाकारी राज्यों में से किसी एक का निवासी है और जो, दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार के अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी विश्वविद्यालय अथवा अन्य मान्यताप्राप्त शिक्षा संस्था के आमंत्रण पर, किसी विश्वविद्यालय अथवा अन्य मान्यताप्राप्त शिक्षा संस्था में अध्यापन करने अथवा अनुसंधान करने, अथवा दोनों, के मूल प्रयोजन से उस दूसरे संविदाकारी राज्य की यात्रा करता है, उसको उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके आगमन की तारीख से ऐसी अवधि के लिए जो दो वर्ष से अधिक नहीं होगी, विश्वविद्यालय अथवा मान्यताप्राप्त शिक्षा संस्था में अध्यापन करने अथवा अनुसंधान करने, अथवा दोनों के लिए की गई वैयक्तिक सेवाओं से होने वाली आय के सम्बन्ध में, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में, कर से छूट प्राप्त रहेगी ।

2. यदि ऐसा अनुसंधान मूलतः किसी विशिष्ट व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निजी लाभों के लिए किया गया हो तो उस अनुसंधान से प्राप्त आय पर यह अनुच्छेद लागू नहीं होगा ।

अनुच्छेद—21

सरकार तथा संस्थानों को आय

1. संविदाकारी राज्यों में से एक की सरकार को दूसरे संविदाकारी राज्य से प्राप्त हुई किसी आय के सम्बन्ध में दूसरे संविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त रहेगी ।

2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के प्रयोजनों के लिए 'सरकार' पद से अभिप्राय है—

(क) मलयेशिया के मामले में मलयेशिया की सरकार और उसमें निम्नलिखित भी सम्मिलित रहेंगे :—

(i) राज्यों की सरकारें;

(ii) दि बैंक नेगरा मलयेशिया;

(iii) ऐसी कोई संस्था अथवा निकाय जिसके बारे में दोनों संविदाकारी राज्य समय समय पर सहमत हों ।

(ख) भारत के मामले में भारत की सरकार और उसमें निम्नलिखित भी सम्मिलित रहेंगे :—

(i) भारत के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारें;

(ii) भारत का रिज़र्व बैंक ;

(iii) ऐसी कोई संस्था अथवा निकाय जिसके बारे में समय समय पर दोनों संविदाकारी राज्यों के बीच सहमति हो ।

अध्याय—IV

दोहरे कराधान का अपाकरण

अनुच्छेद—22

1. संविदाकारी राज्यों में से प्रत्येक में प्रवर्तमान विधियां सम्बन्धित संविदाकारी राज्यों के कराधान को अधिशासित करती रहेंगी, सिवाय जहां इस करार में तत्-प्रतिकूल उपबन्ध न भये हों ।

2. (क) भारत के किसी निवासी को मलयेशिया में स्थित साधनों से प्राप्त आय पर भारत और मलयेशिया दोनों में कर लगाया गया है, तो मलयेशिया के कानूनों के अन्तर्गत, और इस करार के उपबन्धों के अनुसरण में, प्रत्यक्षतः अथवा कटौती द्वारा देय मलयेशियाई कर की रकम को, उक्त आय के सम्बन्ध में देय भारतीय कर के प्रति जमा मानने की स्वीकृति दी जायेगी, परंतु वह जमा, भारतीय कर के उस अनुपात की रकम से अधिक नहीं होगी, जो भारतीय कर लगाने योग्य सकल आय के प्रति इस आय का अनुपात बनता होगा ।

(ख) उपर्युक्त उप पैराग्राफ (क) में उल्लिखित जमा के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित को भारत के निवासी द्वारा अदा किया गया मान लिया जायगा—

(i) कर की वह रकम जो स्वामित्वों के सम्बन्ध में अदा की जाती यदि अनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 2 में छूट की व्यवस्था नहीं रहती ; और

(ii) कर व वह रकम जो अदा की जाती, यदि मलेशिया में आर्थिक विकास की प्रगति के लिये किये गये उन विशेष प्रोत्साहन-उपायों के अनुसरण में मलेशियाई कर न्यून अथवा अवमुक्त नहीं कर दिया गया होता, जो—

(कक) मलेशिया के निवेश प्रोत्साहन अधिनियम 1968 की धारा 21, 22 और 26 में दिये गये हैं ; अथवा

(खख) विद्यमान उपायों के संशोधन अथवा संवर्द्धन में, आयकर अधिनियम, 1967, अनुपूर्वक आयकर अधिनियम, 1967, पेट्रोलियम (आय-कर) अधिनियम 1967 अथवा निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 1968 में भविष्य में लागू किये जायें ;

बशर्ते कि उक्त उपायों द्वारा दिये गये लाभ के विस्तार के सम्बन्ध में दोनों संविधानकारी राज्यों के बीच कोई करार किया जाता है ।

3. (क) मलेशिया के किसी निवासी की भारत में स्थित साधनों से प्राप्त आय पर मलेशिया और भारत दोनों में कर लगाया गया है, तो भारत के कानूनों के अन्तर्गत, और इस करार के उपबन्धों के अनुसरण में, प्रत्यक्षतः अथवा कटौती द्वारा देय भारतीय कर की रकम को, उक्त आय के सम्बन्ध में देय मलेशियाई कर के प्रति जमा मानने की स्वीकृति दी जायगी, परन्तु वह जमा, मलेशियाई कर के उस अनुपात की रकम से अधिक नहीं होगी, जो मलेशिया कर लगने योग्य सकल आय के प्रति इस आय का अनुपात बनता होगा ।

(ख) उपर्युक्त उप-वैराहाफ (क) में उल्लिखित जमा के प्रयोजनों के लिए मलेशिया के निवासी द्वारा वह रकम अदा की गई मान ली जाएगी जो उस स्थिति में अदा की जाती जब भारत में आर्थिक विकास की प्रगति के लिए किये गये उन विशेष प्रोत्साहन उपायों के अनुसरण में भारतीय कर न्यून अथवा अवमुक्त नहीं कर दिया गया होता, जो

(i) स्वामित्वों के संबंध में, जिस रूप में भारत के संगत वार्षिक वित्त अधिनियम में उपवर्णित हैं, और

(ii) अन्य आय के संबंध में, जिस रूप में वे भारत के आयकर अधिनियम 1961 की निम्नलिखित धाराओं में उपवर्णित हैं, अथवा जो विद्यमान उपायों के संशोधन अथवा संवर्द्धन में भारतीय कर विधियों में भाग लेने में लागू किये जायें, बशर्ते कि उक्त उपायों द्वारा दिये गये लाभ के विस्तार के संबंध में दोनों संविधानकारी राज्यों के बीच कोई करार किया जाता है :—

(कक) धारा 10(15)(iv)(ख) और (ग)—जिसका संबंध निम्नलिखित को कर से छूट देने से है :

(क) किसी स्वीकृत विदेशी वित्तीय संस्था द्वारा भारत में किसी औद्योगिक उपक्रम को किसी ऋणकरार के अन्तर्गत उधार दिये गये धन पर ब्याज ; और

(ख) किसी अनिवासी व्यक्ति द्वारा भारत में किसी औद्योगिक उपक्रम को भारत में बाहर कच्चे तेल अथवा पूंजी के रूप में संयंत्र तथा मशीनरी की खरीद के लिए उधार दिये गये धन अथवा उधार-सुविधाओं पर ब्याज ;

- (ख) धारा 33—जो जलपोतों, मशीनरी अथवा संयंत्र के संघ में विकास छूट के बारे में है ;
- (ग) धारा 80—जे—जो उपयुक्त औद्योगिक उपक्रम अथवा जलपोतों अथवा होटलों से लाभों तथा अधिलाभों के विषय में कटौती के संबंध में है ;
- (घ) धारा 80—के— जो उपयुक्त औद्योगिक उपक्रमों अथवा जलपोतों अथवा होटलों से लाभों अथवा अधिलाभों के कारण देश लाभार्थियों के संबंध में कटौती के बारे में है ;
- (ङ) धारा 80—एम—जो किसी कंपनी को देशी कंपनी से प्राप्त किन्हीं लाभार्थियों के संबंध में कटौती के बारे में है। यह उप-खंड किसी ऐसी कंपनी के संबंध में लागू होगा, जो केवल मलेशिया की ही निवासी है, यदि ऐसी कंपनी के पास (एकाकी तौर से अथवा इसकी नियंत्रक किसी कंपनी के साथ अथवा उसके द्वारा नियंत्रित किसी कंपनी के साथ मिलकर) लाभदायक रूप में ऐसे शेयर हैं, जिससे उक्त कंपनी को देशी कंपनी में ऐसा मताधिकार प्राप्त है, जो मताधिकार-शक्ति के 10 प्रतिशत से कम नहीं है और देशी कंपनी एक औद्योगिक कंपनी है।
- (iii) कोई अन्य प्रोत्साहन-उपाय जिसके बारे में दोनों संविदाकारी राज्य समय-समय पर सहमत हों।

अध्याय—V

विशेष उपबंध

अनुच्छेद—23

सम-व्यवहार

1. संविदाकारी राज्यों में से किसी एक के नागरिक अथवा राष्ट्रिकों को दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसे किसी कराधान अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी, जो उस कराधान से और उन अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो, जो उस दूसरे राज्य के नागरिकों अथवा राष्ट्रिकों पर वैसी ही परिस्थितियों में और वैसे ही उपबंधों के अधीन लागू होती हैं, अथवा हो सकती हैं। इस उपबंध का यह अर्थ नहीं होगा कि संविदाकारी राज्यों में से एक राज्य, दूसरे संविदाकारी राज्य के ऐसे नागरिकों को, जो प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य के निवासी नहीं हैं, कर-प्रयोजनों के लिए, वे व्यक्तिक छूट, राहत तथा कटौतियां मंजूर करने को बाध्य होगा, जो कानून के अन्तर्गत केवल उस प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य के नागरिकों को तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध हैं जो ऐसे कानून में विनिर्दिष्ट हैं और जो उस प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य के निवासी नहीं हैं।

2. संविदाकारी राज्यों में से एक राज्य के उद्यम के, दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थायी संस्थापन पर, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसा कराधान लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य के, वैसी ही परिस्थितियों में और वैसी ही स्थितियों के अधीन, वैसे ही कार्य में प्रवृत्त उद्यम पर लागू होने वाली कराधान से अपेक्षाकृत कम असूकूल हो।

3. संविदाकारी राज्यों में से एक के उद्यमों पर, जिनकी पूंजी संपूर्णतः अथवा अंशतः दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासियों के प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः स्वामित्व अथवा नियंत्रण में है, प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य में कोई ऐसा कराधान अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी, जो उस कराधान और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हों, जो उस प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य के अन्य वैसे ही उद्यमों पर वैसे ही परिस्थितियों में और वैसे ही उपबंधों के अधीन लागू हैं अथवा हो सकती हैं।

4. इस अनुच्छेद में, संविदाकारी राज्य के संबंध में, 'नागरिक' अथवा 'राष्ट्रिक' शब्दों से अभिप्राय है :—

- (क) उस संविदाकारी राज्य की नागरिकता अथवा राष्ट्रीयता प्राप्त सभी व्यक्ति;
- (ख) सभी विधिसम्मत व्यक्ति, साझेदारियां, संस्थाएं और अन्य इकाइयां, जिनको उस संविदाकारी राज्य में प्रवर्तमान विधि से इस प्रकार की हैसियत प्राप्त है।

अनुच्छेद-24

पारस्परिक करार कार्यविधि

1. जहां संविदाकारी राज्य में से किसी एक का निवासी यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्य के कार्यों के कारण कराधान का परिणाम ऐसा हुआ है अथवा होगा, जो इस करार के अनुरूप नहीं है, वहां वह, संविदाकारी राज्य में प्रवर्तमान कराधान विधियों द्वारा उपबंधित उपचारों के होते हुए भी, वह जिस संविदाकारी राज्य का निवासी है, उसके सक्षम प्राधिकारी को अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है।

2. यदि प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी उपयुक्त हल पर पहुंचने में असमर्थ हो तो वह सक्षम प्राधिकारी ऐसे कराधान के निवारण की दृष्टि से, जो इस करार के अनुरूप नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी की परस्पर सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयत्न करेगा।

3. इस करार का अर्थ निरूपण करने अथवा इसके प्रवर्तन के संबंध में यदि कोई कठिनाइयां अथवा शंकाएं उत्पन्न हों तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे।

4. इस करार के उपबंधों के प्रवर्तन के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी, एक-दूसरे के साथ सीधे पत्र व्यवहार कर सकते हैं।

अनुच्छेद-25

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज का आदान-प्रदान करेंगे जो इस प्रकार के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अथवा उन करों के अप-बंधन अथवा निवारण को रोकने अथवा उसका पता लगाने के लिए आवश्यक है, जो इस करार के विषय हैं। इस प्रकार आदान-प्रदान की गयी सूचना अथवा दस्तावेज को गुप्त समझा

चाएगा, लेकिन उसे ऐसे व्यक्तियों को (जिनमें न्यायालय अथवा प्रशासनिक निकाय भी शामिल हैं) प्रकट किया जा सकेगा, जो इस करार के विषय-भूत करों के संबंध में निर्धारण, बसूली, प्रवर्तन अथवा अभियोजन से संबंधित हों अथवा ऐसे व्यक्तियों को प्रकट किया जा सकेगा, जिनसे सूचना अथवा दस्तावेज का संबंध हो।

2. सूचना अथवा दस्तावेजों का आदान-प्रदान नेमी आधार पर होगा अथवा विशेष मामलों के संबंध में निवेदन के आधार पर होगा। नेमी आधार पर दी जाने वाली सूचना अथवा दस्तावेजों की सूची के संबंध में संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के समय समय पर सहमति आवश्यक होगी।

3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित बाध्यता अधिरोपित करना नहीं होगा :—

- (क) एक अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों अथवा प्रशासनिक प्रथा के विपरीत प्रशासनिक उपाय करना ;
- (ख) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज देना जो अथवा एक दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों के अन्तर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य व्यवस्था में प्राप्त नहीं हैं ;
- (ग) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज देना, जिससे कोई व्यापारिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा रोजगार संबंधी गुप्त भेद अथवा व्यापारिक-प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सरकार की नीति के प्रतिकूल हो।

अनुच्छेद—26

राजनयिक और वाणिज्यदूतीय अधिकारी

1. इस करार में निहित किसी व्यवस्था का, अंतर्राष्ट्रीय विधि के सामान्य नियमों के अंतर्गत अथवा विशेष करारों की व्यवस्था के अंतर्गत राजनयिक अथवा वाणिज्यदूतीय अधिकारियों के राज्य-कराधिकार विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अध्याय—VI

उपसंहार

अनुच्छेद—27

प्रवर्तन

1. यह करार उस तारीख से लागू होगा जिस तारीख को क्रमशः मलेशिया और भारत में इस करार को कानून का रूप देने के लिए यथावश्यक सारी कार्यवाही अंतिम रूप से हो चुकेगी।

2. संविदाकारी राज्य, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अपेक्षाओं की पूर्ति हो चुकने के बारे में एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे। इस अपेक्षा की पूर्ति हो चुकने के प्रमाण-रूप में राजनयिक पत्रों का आदान-प्रदान कुआलालम्पुर में होगा।

3. ऐसे राजनयिक पत्रों का आदान-प्रदान हो चुकने पर यह करार :—

(क) मलेशिया में :—

जहां तक मलेशिया के कर का संबंध है, 1 जनवरी 1973 को शुरू होने वाले कर निर्धारण वर्ष तथा परवर्ती कर निर्धारण वर्षों के लिए;

(ख) भारत में —

जहां तक भारतीय कर का संबंध है, 1 अप्रैल, 1973 को शुरू होने वाले कर निर्धारण वर्ष तथा परवर्ती कर निर्धारण वर्षों के लिए ;

लागू होगा ।

अनुच्छेद—28

पर्यवसान

1. यह करार अनिश्चित काल तक लागू रहेगा, किन्तु संविदाकारी राज्यों में से कोई भी राज्य, वर्ष 1975 के पश्चात् किसी कलैण्डर वर्ष में 30 जून को अथवा उससे पहले, दूसरे संविदाकारी राज्य को पर्यवसान का लिखित नोटिस दे सकेगा और वैसी स्थिति में यह करार—

(क) भारत में —

जहां तक भारतीय कर का संबंध है, जिस कलैण्डर वर्ष में ऐसा नोटिस दिया गया हो, उसके अगले परवर्ती कलैण्डर वर्ष के अप्रैल मास के प्रथम दिन को शुरू होने वाले कर निर्धारण वर्ष तथा उसके परवर्ती कर निर्धारण वर्षों के लिए ;

(ख) मलेशिया में—

जहां तक मलेशिया के कर का संबंध है, जिस कलैण्डर वर्ष में ऐसा नोटिस दिया गया हो, उसके अगले परवर्ती कर निर्धारण वर्ष तथा उसके परवर्ती कर निर्धारण वर्षों के लिए ;

लागू नहीं रहेगा ।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए सम्यक्तः प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं ।

दो दो प्रतियों में नई दिल्ली में वर्ष एक हजार नौ सौ छिहत्तर के अक्तूबर मास के पच्चीसवें दिन हिन्दी, मलय तथा अंग्रजी भाषाओं में किए गए, सभी पाठ समानतः प्रामाणिक सिवाय इसके कि अर्थ निरूपण की भिन्नता के मामले में अंग्रजी पाठ अभिभावी होगा ।

(ह०)—प्रणव कुमार मुखर्जी

(ह०)—तात श्री हाजी अब्दुल खालिद बिन
अबंग ओसमान

भारत की सरकार की ओर से

मलेशिया की सरकार की ओर से

संलक्ष

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के निवारणार्थ और राज्य करों के अपवंचन को रोकने के लिए भारत की सरकार और मलेशिया की सरकार के बीच करार पर हस्ताक्षर करते समय अधो-हस्ताक्षरी इस बात पर सहमत हो गए हैं कि जहां तक एक संविदाकारी राज्य से दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को अंतर्राष्ट्रीय यातायात में पोट-परिचालन से प्राप्त होने वाली आय का संबंध है, प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य का सक्षम प्राधिकारी इस करार के अनुच्छेद 8 के प्रयोजन के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रेषित प्रमाण पत्र को स्वीकार करेगा ।

2. प्रमाण पत्र में निम्नलिखित दर्शाया जाएगा :—

- (क) कहीं से भी प्राप्त सकल आय;
- (ख) दूसरे संविदाकारी राज्य में, कराधान के प्रयोजन के लिए, पोत-परिचालन के संबंध में संगणित आय अथवा हानि; और
- (ग) उस दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए (किसी पूर्ववर्ती अवधि से आगे लाई गई किसी छूट को छोड़ कर) समस्त मूल्यहास छूटें।

3. इसके अतिरिक्त, इस बात पर भी सहमति हो गई है कि यह संलेख करार का अभिन्न अंग होगा।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए सम्यवतः प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस संलेख पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई दिल्ली में 25 अक्टूबर, 1976 को हिन्दी, मलय, अंग्रेजी भाषाओं में दो दो प्रतियों में, किए गए, सभी पाठ समानतः प्रमाणिक होंगे सिवाय इसके कि अर्थ निरूपण की भिन्नता के मामले में अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगा।

(ह०) प्रणव कुमार मुखर्जी

(ह०) तान श्री हाजी अब्दुल खालिद
बिन अब्बास अरोस्मान

भारत की सरकार की ओर से

मलयेशिया की सरकार की ओर से

[सं० 1705/फा० सं० 11(43), 64-एफ० टी० डी०]

जगदीश चन्द्र कालरा, संयुक्त सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मंत्रालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977